e-office No. 816921/191cp

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29.

फा.सं.7-1/2019-हिं.अ.

दिनांक: 16.10.2019

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 24.09.2019 को हुई तृतीय बैठक का कार्यवृत्त।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की पुनगठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 24.09.2019 को सायं 04.30 बजे, डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में प्रो. आर.के. चड्डा, प्रमुख, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र, गाजियाबाद एवं कार्यकारी अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता में आयोजित हुई तृतीय बैठक का कार्यवृत्त सूचना/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

संस्थान के सभी संबद्ध विभागों/अनुभागों/केंद्रों से अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए और इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना हिंदी अनुभाग को भी दी जाए।

यह कार्यवृत्त निदेशक महोदय, एम्स नई दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

16.10.19

(प्रेम सिंह तोमर)
वरिष्ठ हिंदी अधिकारी एवं
सदस्य-सचिव

वितरण:

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यगण।
2. सभी विभाग/अनुभाग/केन्द्र।
3. उप-निदेशक (कंप्यूटर सुविधा)।
4. वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी/प्रशासन अधिकारी, दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र/ डॉ. बी.आर.ए.सं.रो.कैं.अ./ भर्ती प्रकोष्ठ/ अस्पताल/ एस.सी.-एस.टी. प्रकोष्ठ/ ए.सी.आर. प्रकोष्ठ/ आर.टी.आई. प्रकोष्ठ।
5. लेखा अधिकारी, प्री-ऑडिट अनुभाग/ऑडिट अनुभाग/बजट एवं संकलन अनुभाग।

प्रतिलिपि:

- निदेशक/संकायाध्यक्ष(शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा)/चिकित्सा अधीक्षक महोदय के निजी सचिव।
- उप-निदेशक(प्रशासन)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार महोदय के निजी सचिव।
- उप-सचिव एवं राजभाषा अधिकारी महोदय के निजी सचिव।
- निदेशक (राजभाषा), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-11.
- उप-निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, ए-149, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग, सरोजनी नगर, नई दिल्ली-23.
- उप-निदेशक (कंप्यूटर सुविधा) - कृपया इसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

श्री संजय गुप्ता जी
कृपया वेबसाइट पर अपलोड करें।

श्री अमित

11:46

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की पुनर्गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 24.09.2019 को आयोजित हुई तृतीय बैठक का कार्यवृत्त।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में दिनांक 24.09.2019 को सायं 04.30 बजे पुनर्गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तृतीय बैठक प्रो. आर.के.चड्डा, प्रमुख, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केन्द्र, गाजियाबाद एवं कार्यकारी अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निम्नलिखित सदस्यों/विशेष आमंत्रित अधिकारीगण ने भाग लिया:-

1.	प्रो. आर.के. चड्डा, आचार्य एवं प्रमुख, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केन्द्र, गाजियाबाद	कार्यकारी अध्यक्ष
2.	श्री धीरेन्द्र वर्मा, उप-सचिव एवं राजभाषा अधिकारी	सदस्य
3.	डॉ. जी.के.रथ, आचार्य एवं प्रमुख, डॉ.बी.आर.ए.सं.रो.कैं.अ. तथा अध्यक्ष, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, झज्जर	सदस्य
4.	डॉ. आर.के. चड्डा, आचार्य एवं प्रमुख, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र, गाजियाबाद	सदस्य
5.	आचार्य एवं अध्यक्ष, सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र के प्रतिनिधि: डॉ. अनिल गोस्वामी, सह-आचार्य	सदस्य
6.	डॉ. यू. सिंह, आचार्य एवं अध्यक्ष, भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास विभाग	सदस्य
7.	डॉ. संजय कुमार आर्य, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (का.)	सदस्य
8.	श्री नरेन्द्र भाटिया, वित्त सलाहकार	सदस्य
9.	अधीक्षण अभियंता के प्रतिनिधि: श्री विनोद कुमार शर्मा, कार्यकारी अभियंता (वाता.)	सदस्य
10.	मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष के प्रतिनिधि: श्री जहांगीर खान, पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-I, बी.बी.दीक्षित पुस्तकालय	सदस्य
11.	डॉ. प्रवीण वशिष्ठ, आचार्य एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, डॉ.रा.प्र.केन्द्र	सदस्य
12.	श्री बी.के. सिंह, प्रशासनिक अधिकारी एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, डॉ.भी.रा.अं.सं.रो.कैं.अ.	सदस्य

13.	श्री पल्लव कुमार चित्तेज, प्रशासनिक अधिकारी स्थापना अनुभाग (नि.का.)	सदस्य
14.	श्री कुशाल कुमार, प्रशासनिक अधिकारी एवं नोडल राजभाषा अधिकारी शैक्षिक अनुभाग	सदस्य
15.	श्री भूप सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, अनुसंधान अनुभाग	सदस्य
16.	श्री निखिल भटनागर, प्रशासनिक अधिकारी एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, संपदा अनुभाग	सदस्य
17.	श्रीमती रेणु भारद्वाज, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र तथा राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केन्द्र, गाजियाबाद	सदस्य
18.	प्रशासनिक अधिकारी, भर्ती प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि: श्री कमल भट्ट, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	सदस्य
19.	श्री प्रेम सिंह तोमर, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी	सदस्य-सचिव
20.	श्री ललित उरांव, प्रशासनिक अधिकारी, ए.सी.आर., आर.टी.आई. तथा एस.सी./एस.टी. प्रकोष्ठ	विशेष आमंत्रित
21.	श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, लेखा अधिकारी प्री-ऑडिट एवं ऑडिट अनुभाग	विशेष आमंत्रित
22.	लेखा अधिकारी, बजट अनुभाग के प्रतिनिधि: श्री ब्रिजेश कुमार, वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक	विशेष आमंत्रित

श्रीमती प्रीति आहलूवालिया, कल्याण अधिकारी अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम होने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो पायीं। अन्य सदस्यों की ओर से बैठक में अनुपस्थित रहने संबंधी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

मद सं. 1 <u>पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि संबंधी।</u>

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की यथावत पुष्टि की गई।

मद सं. 2 <u>संस्थान में हिंदी अनुवादकों की स्थायी भर्ती करने संबंधी।</u>

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि संस्थान में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के 05 रिक्त पदों को नियमित रूप से भरा जाना अति आवश्यक है ताकि संस्थान तथा इसके सभी केंद्रों में भारत सरकार की राजभाषा नीति का समुचित अनुपालन सुनिश्चित

किया जा सके। अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछे जाने पर मुख्य प्रशासन अधिकारी महोदय द्वारा सूचित किया गया कि संस्थान में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के 03 रिक्त पदों पर स्थायी भर्ती करने हेतु सम्बद्ध सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिये गये हैं और शीघ्र ही इनके संस्थान में कार्यभार ग्रहण करने की आशा है और शेष 02 रिक्त पदों को भरने संबंधी कार्रवाई भी शीघ्र आरम्भ की जा रही है।

उपर्युक्त के संदर्भ में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भर्ती अनुभाग द्वारा कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के रिक्त पदों को यथाशीघ्र भर लिया जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के उपर्युक्त निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - भर्ती प्रकोष्ठ

मद सं. 3 तिमाही रिपोर्ट प्रेषितकर्ता केंद्रों/अनुभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने संबंधी।

उपर्युक्त विषय के सदंर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा संस्थान के लिए हिंदी में पत्राचार का लक्ष्य 100 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जबकि संस्थान में दिनांक 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अनुसार हिंदी पत्राचार लगभग 63 प्रतिशत ही है।

समिति द्वारा जून, 2019 को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की विस्तृत समीक्षा के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि तिमाही रिपोर्ट समीक्षाधीन सभी 10 अनुभागों/केंद्रों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट में दर्शाए गए पत्राचार आदि संबंधी आंकड़ों में और वृद्धि की जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - डॉ.बी.आर.ए.सं.रो.कैं.अ./दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र/भर्ती प्रकोष्ठ/अस्पताल (स्थापना अनुभाग)/एस.सी./एस.टी. प्रकोष्ठ/ए.सी.आर. प्रकोष्ठ/आर.टी.आई. प्रकोष्ठ/ प्री-ऑडिट अनुभाग/ऑडिट अनुभाग/बजट एवं संकलन अनुभाग

मद सं. 4 संस्थान में हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशानिदेशों के अनुपालन में संस्थान के नियमित अवर श्रेणी लिपिकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों/आशुलिपिकों आदि को हिंदी टंकण/आशुलिपि के अनिवार्य प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाता है। सदस्य-सचिव ने समिति को यह भी सूचित किया कि अगस्त, 2019 से प्रारम्भ हुए हिंदी टंकण प्रशिक्षण सत्र में संस्थान के 09 कर्मचारीगण हिंदी टंकण का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

इस विषय में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निदेशों के अनुसार आगामी हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण सत्रों में भी संस्थान के कर्मचारियों का नियमानुसार नामांकन सुनिश्चित किया जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग

मद सं. 5 <u>संस्थान में रोगियों के ओ.पी.डी. कार्ड में रोगी विवरण द्विभाषी होने संबंधी।</u>

इस विषय में सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि संस्थान में रोगियों के ओ.पी.डी. कार्डों में रोगी विवरण में अंग्रेजी ऊपर तथा हिंदी नीचे कर दी गई है जबकि राजभाषा विभाग के नियमानुसार उक्त सूचना द्विभाषी रूप में (हिंदी-अंग्रेजी) छपी होनी चाहिए।

इस विषय में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि संस्थान तथा इसके सभी केन्द्रों में बनाए जाने वाले ओ.पी.डी. कार्डों में रोगी संबंधी सूचना द्विभाषी रूप में छापी जाए और ऐसा करते समय **हिंदी ऊपर अंग्रेजी नीचे** अथवा **हिंदी पहले अंग्रेजी बाद में** रखी जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - उप-निदेशक (कंप्यूटर सुविधा)

मद सं. 6 <u>संस्थान की वेबसाइट द्विभाषी होने संबंधी।</u>

उपर्युक्त के संबंध में सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के निदेशानुसार संस्थान की वेबसाइट द्विभाषी रूप में होनी चाहिए। इस विषय में पूछे जाने पर उप-निदेशक, कंप्यूटर सुविधा ने समिति को सूचित किया कि संस्थान की वेबसाइट द्विभाषी रूप में है और जो भी सामग्री अपलोड होने हेतु कंप्यूटर सुविधा में आती है, उसे अनिवार्य रूप से केवल द्विभाषी रूप में ही वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है लेकिन वेबसाइट पर अपलोड की जाने वाली स्थायी प्रकृति की विषय सामग्री को द्विभाषी रूप में अपलोड करने में अभी थोड़ी समस्या आ रही थी जिसे दूर किया जा रहा है और संस्थान की वेबसाइट का हिंदी अनुवाद कार्य एंजेसी द्वारा प्रगति पर है और अनुवाद कार्य पूर्ण होने पर द्विभाषी रूप में सामग्री वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

इस विषय में विस्तृत विचार-विमर्श उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि संस्थान की वेबसाइट को द्विभाषी रूप में अद्यतन रखा जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - उप-निदेशक (कंप्यूटर सुविधा)

मद सं. 7 <u>संस्थान में सभी रबड़ की मोहरे द्विभाषी होने संबंधी।</u>

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के नियमानुसार संस्थान में प्रयोग में लायी जाने वाली सभी रबड़ की मोहरें अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में होनी चाहिएं लेकिन संस्थान के अनेक विभागों/अनुभागों/केन्द्रों में कुछ संकाय-सदस्यगण व अधिकारीगण द्वारा जो मोहरें प्रयोग में लायी जा रही हैं, वे अभी भी केवल अंग्रेजी में ही हैं जोकि राजभाषा विभाग द्वारा इस विषय में जारी नियमों का उल्लंघन है।

इस विषय में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इस संदर्भ में एक परिपत्र जारी करके संस्थान में केवल द्विभाषी रबड़ की मोहरों का ही प्रयोग करने के निदेश दिए जाएं।

अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग/सभी विभाग/अनुभाग/केन्द्र

मद सं. 8 <u>संस्थान में सभी पत्रशीर्ष/लैटर हैड द्विभाषी होने संबंधी।</u>

इस विषय के संदर्भ में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के नियमानुसार संस्थान में संकाय-सदस्यों/अधिकारियों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले सभी पत्रशीर्ष/लैटर हैड अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में होने चाहिएं लेकिन संस्थान के कुछ विभागों/अनुभागों/केन्द्रों में संकाय-सदस्यगण व अधिकारीगण द्वारा जो पत्रशीर्ष/लैटर हैड प्रयोग में लाये जा रहे हैं, वे अभी भी केवल अंग्रेजी में हैं जोकि राजभाषा विभाग द्वारा इस विषय में जारी नियमों का उल्लंघन है।

इस विषय में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इस संदर्भ में एक परिपत्र जारी करके संस्थान में केवल द्विभाषी पत्रशीर्ष/लैटर हैड का ही प्रयोग करने के निदेश दिए जाएं।

अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग/सभी विभाग/अनुभाग/केन्द्र

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के पश्चात बैठक सम्पन्न हुई।